इलायची अधिनियम, 1965

(1965 का अधिनियम संख्यांक 42)

[9 दिसम्बर, 1965]

संघ के नियंत्रण के अधीन इलायची उद्योग के विकास के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम इलायची अधिनियम, 1965 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है :

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक के सिवाय लागू न होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबन्ध भारत से इलायची के निर्यात तथा भारत में उसके आयात के नियंत्रण से सम्बन्धित है ।

(3) यह उस तारीख[।] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

2. संघ द्वारा नियंत्रण समीचीन है इसके बारे में घोषणा—एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित के लिए यह समीचीन है कि इलायची उद्योग को संघ अपने नियंत्रण में ले ले।

2* * * * * * * *

¹ अध्याय 3 को छोड़कर, अधिनियम के उपबंध, 5 अप्रैल, 1966 से प्रवृत्त हुए । देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 543, तारीख 5 अप्रैल, 1966 भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पु० 619.

धारा 14 और 15, 11-4-1966 से प्रवृत्त हुई । देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 380, तारीख 5-3-1966, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3 (i), पृ० 428. अध्याय 3, 12-7-1966 से प्रवृत्त होगा । देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 2166, तारीख 12-7-1966, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3 (ii), पृ० 2108.

 $^{^{2}}$ 1986 के अधिनियम सं० 10 की धारा 42 द्वारा (26-2-1987 से) धारा 3 से धारा 33 तक निरसित ।